

न्यायालय  
श्रमायुक्त, बिहार-सह-अपीलीय प्राधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के  
अन्तर्गत

प्रथम अपील वाद संख्या-15/2018

नितीश कुमार

बनाम

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी (श्रम पक्ष)

आदेश की तिथि-29.05.2018

९/०६/२०१८

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 (i) के अन्तर्गत दिनांक-28.03.2018 को राजीव रंजन द्वारा अधिनियम की धारा-7 की उप धारा-1 के अन्तर्गत दिनांक-06.02.2018 को प्रपत्र- 'क' में मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के विरुद्ध किया गया है, जिसे वाद सं०-15/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया। दिनांक-29.05.2018 को अपीलकर्ता की उपस्थिति में सुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन के क्रम में यह पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रपत्र 'क' के माध्यम से मांगी गई सूचना अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी (श्रम पक्ष) के पत्रांक-1803 दिनांक-05.04.2018 द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध कराई गई सूचना पर्याप्त है।

अतः वाद को इस आशय के साथ समाप्त किया जाता है।

ज्ञापक:-1/सू० अ०-20/2018 श्र०सं०....

3679

पटना, दिनांक- 01-6-18

स्पीड पोस्ट प्रतिलिपि:- श्री नितीश कुमार, समाज आयोजक, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, मगध प्रण्डल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापक:-1/सू० अ०-20/2018 श्र०सं०....

3679

पटना, दिनांक- 01-6-18

प्रतिलिपि:- आईटीमैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।